वित्त निर्देश 6/2013

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 52/एफ 1005491/वित्त/नियम/चार/13 रायपुर, दिनांक 4 मार्च, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः- छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 10 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ।

संदर्भः-
1. **वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 72/ 162 / वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 24 मार्च, 2009.**
2. **वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 74 / वित्त /नियम /चार / 2009, दिनांक 24 मार्च, 2009.**
3. **वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 374 / सी-31424 /वित्त/ नियम /चार/2010, दिनांक 8 दिसम्बर, 2010.**
4. **वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 243/एफ-1002091/ वित्त / नियम चार/2012, दिनांक 1 अगस्त, 2012.**

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 1.8.2012 द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 10 के शर्तो को शिथिल करते हुए, राज्य शासन के ऐसे कर्मचारियों को जिनकी वेतनवृद्धि की तिथि 1 जनवरी 2006 के बाद की किन्तु 1 जुलाई 2006 के पहले की थी, उन्हें एकबारीय उपाय के तौर पर पूर्व संशोधित वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2006 को एक वेतनवृद्धि प्रदाय करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 10 के अनुसार, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण करते हुए, आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01.07.2006 को स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये है । उक्त वेतनवृद्धि के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 को काल्पनिक वेतननिर्धारण करते हुए आर्थिक लाभ दिनांक 01.08.2012 से देय होगा ।

2/ उक्त विषय में राज्य शासन से यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनकी वेतनवृद्धि की तिथि 1 जनवरी 2006 के बाद की किन्तु 1 जुलाई 2006 के पहले की थी एवं दिनांक 01.08.2012 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गये है उन्हें इस ज्ञापन का लाभ किस प्रकार से देय होगा ।

3/ राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में भी दिनांक 01.01.2006 को काल्पनिक रूप से वेतन निर्धारण किया जाकर तद्नुसार पेंशन पुनरीक्षित किया जाएगा किन्तु ऐसे पुनरीक्षण के फलस्वरूप बढ़े हुए पेंशन का वित्तीय लाभ दिनांक 01.08.2012 से देय होगा । उपदान तथा अवकाश नगदीकरण की राशि का कोई पुनरीक्षण नहीं होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 53/एफ 1005491/वित्त/नियम/चार/13 रायपुर, दिनांक 4 मार्च, 2013

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

Nayak D:\Documents and Settings\RAJESH\My Documents\VitNerdesh\pdf_2013\Doc File\06-1.doc